न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः बीना महावर, आर0ए0एस0)

अपील संख्या 04/2018

राधेश्याम पुत्र करनसिंह जाति ब्राहमण निवासी फतेहपुर सब तहसील उच्चैन जिला भरतपुर
.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायव तहसीलदार उच्चैन (भरतपुर)
.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश नायव तहसीलदार उच्चैन दिनांक 22.11.2017 पत्रावली संख्या 41/2017 उनवानी सरकार बनाम राधेश्याम अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :– 1. श्री हेमराज शर्मा, अभिभाषक अपीलान्टान
2. राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 31.03.2021

अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्व रैस्पोडेन्ट व खिलाफ आदेश नायव तहसीलदार उच्चैन दिनांक 22.11.2017 पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 1554/1193 रकवा 4.00 वीघा किस्म गैरमुमकिन रास्ता वाकै ग्राम फतेहपुर पर अतिक्रमी मानते हुये बेदखल कर पैनल्टी की आज्ञा दी गई है। उक्त आदेश के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रैस्पो0 एवं तहत पत्रावली तलब की गई। मूल तहत पत्रावली शामिल मिसिल है। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनो को दोहराते हुये जाहिर किया कि अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध एवं पत्रावली के तथ्यों के विपरीत होने से काबिल खारिजी के है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया है कि

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

विवादित भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त अपने पूर्वजों के समय से अबाध रूप से ताहाल वर्तमान तक चला आ रहा है तथा उस भूमि पर बोई गई जिन्स राजस्व रिकार्ड मे नियमित से दर्ज है तथा कब्जे काश्त के आधार पर अपीलान्ट उका खातेदार काश्तकार है व उसे बेदखल नहीं किया जा सकता है अपितु उसका नियमन अपीलान्ट के हक में किया जाना चाहिये। उन्होने यह भी जाहिर किया कि जमाबन्दी संवत 2035 में अपीलान्ट के पूर्वज का नाम अंकित है इस प्रकार रिकार्ड से यह साबित है कि विवादित भूमि उसके पूर्वजों की है व पैत्रिक सम्पत्ति है इसलिये इस भूमि का अपीलान्ट ही वास्तवित खातेदार काश्तकार व काविज आराजी है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि ग्राम पंचायत द्वारा अपने प्रस्ताव संख्या 8 दिनांक 26.01.2007 में स्पष्ट लिखा है कि मौके पर कोई रास्ता नहीं है पूर्वजों के समय से ही अपीलान्ट इस पर काश्त करते चले आ रह है। उन्होने ये भी जाहिर किया कि भू राजस्व अधिनियम लागू होने से काफी समय पूर्व से पूर्वजों के समय से कब्जा काश्त करते चले आ रहे है इसलिये धारा 91 एल.आर.एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि अपीलान्ट भूमि हीन किसान है व उसके पास जीविकोपार्जन के लिये अन्य कोई भूमि नहीं है इसलिये पजेशन वाई लॉ के आधार पर उस भूमि का नियमन अपीलान्ट के हम में किया जोवें। अन्त में वकील अपीलान्ट ने अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने की प्रार्थना की है।

राजकीय अभिभाषक ने तहत अदालत नायव तहसीलदार उच्चैन के अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.11.2017 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व आधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत की गई है जिसका तहत अदालत को वखूबी अधिकार प्राप्त है। अपीलान्ट के खिलाफ तहत अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्याय संगत है। इसलिए तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश बखूबी न्याय संगत है। विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में गैरमुमकिन रास्ता दर्ज है इसलिये ऐसी भूमि का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

धारा 16 के तहत आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है। अन्त में राजकीय अभिभाषक द्वारा अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.11.20217 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक उभयपक्ष के कथनों पर गौर किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी 1554/1193 रकवा 4.00 वीघा वाकै ग्राम फतेहपुर राजस्व रिकार्ड में गैरमुमकिन रास्ता दर्ज है। अपीलान्ट की प्रमुख आपत्ति है कि विवादित भूमि पर वर्तमान में कोई रास्ता नहीं है, अपीलान्ट ही उक्त भूमि पर पूर्वजों के समय से काश्त करता चला आ रहा है इसलिये उक्त भूमि का नियमन अपीलान्ट के हक में किया जावें। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत सार्वजनिक उपयोग की भूमि का आवंटन/नियमन किया जाना प्रतिबधित है। पुराने समय से काबिज होने से कोई अधिकार सृजित नही होते। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है। विवादित भूमि पर अपीलान्ट का अतिक्रमी होना सिद्ध होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रकिया अपना कर निर्णय पारित किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही पाते है। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिजी के रहती है।

अतः आदेश है किः–

अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ नायव तहसीलदार उच्चैन की पत्रावली वापिस लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2021 को सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)